न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–327/17

1. मोहनलाल दत्तक पुत्र श्री प्रभू जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 29, सामोद रोड़, नीमडी कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भागु देवी उर्फ भूरी पत्नी श्री बाबूलाल, जाति माली, निवासी काकोडिया की ढाणी, बैनाड़, रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी श्री दुर्गालाल, जाति माली, निवासी जोडला पावर हाउस, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र श्री छितरमल, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 29, सामोद रोड़, नीमडी कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4.. तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07/11/17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 14.07.2017 (प्रकरण संख्या 74/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम मोरीजा तहसील चौंमू जिला जयपुर में कृषि खाता संख्या 192 में अंकित कृषि भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 6.12 हैक्टयर में राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू जाति माली के नाम दर्ज है, दिनांक, 15.03.2015 को खातेदार श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू जाति माली का स्वर्गवास हो जाने से प्रत्यर्थीगण द्वारा बाला–बाला ही दिनांक 21.07.2015 को उक्त कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1717 अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही खुलवा लिया जबकि खातेदार श्री छीतरमल पुत्र चौथू जाति माली ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि के बाबत एक वसीयत दिनांक 27.04.2012 को तहरीर तकमील करके दिनांक 27.04.2012 का ही उप पंजीयक चौंमू के समक्ष पंजीकृत करवायी थी, उक्त वसीयतनामें के तहत उपरोक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को वसीयत की गई है तथा अन्य वारिसान का उक्त कृषि भूमि पर वसीयतनामा दिनांक 27.04.2012 की रोशनी में कोई हक अधिकार प्राप्त नही हुये है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का फौती नामान्तरकरण प्रत्यर्थी द्वारा अपने हक में तस्दीक करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमू के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरकरण संख्या 1717 दिनांक 21.07.2015 को तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार चौमू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1717 को तस्दीक करने स पूर्व सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक फरमा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है, उक्त विधिक बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचना ना कर विधिक भूल की है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 192 जो मृतक श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू द्वारा स्वयं अर्जित भूमि थी जिस पर मृतक खातेदार जागीर के समय से काबिज काश्त था तथा पत्रावली पर प्रथम भू प्रबन्ध की जमाबन्दी होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज पर कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर विधिक भूल की है। उन्हाने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा जाहिर तथ्यों की वादग्रस्त कृषिभूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों की होने बाबत कोई प्रमाण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे अपीलार्थी को स्वयं अर्जित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के तथ्य गलत रूप से विवेचित कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है तथा तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने के तथ्यों को विवेचन अपीलाधीन निर्णय में ना कर विधिक भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में वसीयत बाबत ना कोई जांच की गई ना ही अपीलार्थी को उक्त वसीयत को सिद्ध करने बाबत काई कार्यवाही में लाये बिना अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित फरामाया गया है, जो दस्तावेजी साक्ष्य एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को निरस्त फरमाते हुये नामान्तरकरण संख्या 1717 निरस्त एवं प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार छीतरमल के फौत होने पर खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1717 दिनांक 21.07.15 स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट जिस वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को चुनौति दी है उस वसीयत के बाबत पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा अभी निर्णय होने बाकी है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07/11/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।